सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 6366 / 1014 / 2016 दिनांक: 19.06.2017

श्री अखिलेश कुमार राय R1876 वादी
ग्राम व पोस्ट – कतौरा (गौरी बाजार)
जिला – देवरिया – 274202 (उत्तर प्रदेश)

बनाम

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(द्वारा) महानिदेशक डाक R1877
डाक भवन, नई दिल्ली। प्रतिवादी सं.01

भारतीय डाक, उत्तर प्रदेश सर्किल
(द्वारा) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल R1878
लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश) प्रतिवादी सं.02

भारतीय डाक, उत्तर प्रदेश परिमण्डल
(द्वारा) पोस्टमास्टर जनरल R1879
गोरखपुर – 273001 (उत्तर प्रदेश) प्रतिवादी सं.03

भारतीय डाक, देवरिया मण्डल
(द्वारा) अधीक्षक R1880
देवरिया – 274001 (उत्तर प्रदेश) प्रतिवादी सं.04

सुनवाई की तिथि : 08.06.2017 दोपहर 1500 बजे।

उपस्थित :

- प्रार्थी – प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित
- श्री डी.बी.त्रिपाठी, वरिष्ठ अधीक्षक, श्री सूबेदार सिंह, अधीक्षक, प्रतिवादी की ओर से।

KC

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री अखिलेश कुमार राय, 80 प्रतिशत अस्थि बाधित व्यक्ति ने ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के रिक्त पद हेतु जारी विज्ञप्ति के आधार पर विकलांग कोटे के तहत नियुक्ति प्रदान करने से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 07.05.2016 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थी का अपनी शिकायत में कहना है कि अधीक्षक, भारतीय डाक, देवरिया मण्डल, देवरिया द्वारा ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के रिक्त पदों हेतु रिक्त पद भरने हेतु विज्ञप्ति ज्ञापन दिनांक 30.01.2016 की विज्ञप्ति निकाली गई जिसमें विकलांग कोटा नहीं बनाया गया। आज तक अधिकारियों द्वारा उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी गई कि उनके प्राथना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई। अतः उनकी शिकायत पर विचार करते हुए उन्हें शाखा पोस्टमास्टर के पद पर नियुक्ति करवाएं।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 17.08.2016 को उठाया गया।

4. अधीक्षक डाकधर, देवरिया मण्डल का अपने पत्र दिनांक 06.09.2016 में कहना है कि देवरिया मंडल में ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर पद पर नियोजन के लिए दिनांक 30.01.2016 को 64 रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी। जिसमें सामान्य वर्ग के 33 पद अनारक्षित (सामान्य) थे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 17, अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 01 पद आरक्षित किया गया था जिसमें विकलांग कोटे के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि डाक महानिदेशालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.04.94 के अनुसार जी.डी.ए एस.सवंर्ग में नियोजन हेतु विकलांगों के लिए नियमानुसार कोई आरक्षण कोटा निर्धारित नहीं है जिस आधार पर सम्बंधित अभ्यर्थी को विकलांग कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।

5. वादी का अपने प्रत्युत्तर दिनांक 20.10.2016 में परस्पर कहना है कि अधीक्षक डाकधर के पत्र दिनांक 06.09.2016 से यह पता चलता है कि 22.04.1994 के बाद आज तक निदेशालय के द्वारा नियम में कोई संशोधन व परिवर्तन नहीं हुआ है तथा डाक महानिदेशालय दिल्ली से जवाब मांगा जाये कि 1994 से आजतक किस कारण व किस नियम के अन्तर्गत इसमें विकलांगों को आरक्षण नहीं दिया गया। प्रतिवादी के पत्र दिनांक 06.09.2016 एवं वादी के पत्र दिनांक 24.10.2016 के मद्देनज़र दिनांक 08.06.2017 को सुनवाई रखी गई।

6. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन प्रस्तुत किये जिसमें में प्रतिवादी का कहना है कि डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक केन्द्रीय सिविल सर्विस के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते है। ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली –2011 के तहत निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन ड्यूटी करते हैं और इनकी ड्यूटी पांच घण्टे से ज्यादा नहीं होती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं: 36035/3/2004 स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 और कार्यालय ज्ञापन सं: 36035/8/2003–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 26.04.2006 में उल्लेखित नियम द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप 100 बिन्दुओं वाला आरक्षण डाक विभाग में नियोजित किये जाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन में लागू नहीं होता है। जीडीएस संवर्ग में आरक्षण रोस्टर का प्रावधान नहीं हैं, केवल ओबीसी/एससी/एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही दिया जाना है।

7. प्रार्थी ने अपने पत्र दिनांक 19.05.2017 द्वारा यह अवगत कराया है कि वह 08.06.2017 की सुनवाई में आने के लिए असमर्थ है तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति के आधार पर सुनवाई करें।

8. केस को सुनने एवं दस्तावेजों को देखने के बाद यह पाया गया है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 का उल्लंधन हो रहा है चूंकि जीडीएस संवर्ग में आरक्षण केवल ओबीसी/एससी/एसटी को दिया जा रहा है एवं दिशा–निर्देश पत्र संख्याः 21–8/92–ईडी टीआरजी दिनांक 22.04.1994 को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 आने के बाद उस पर पुनर्विचार नहीं किया गया। प्रतिवादी सं. 01 अर्थात् महानिदेशक डाक, डाक भवन, नई दिल्ली को निर्देश दिया जाता है कि दिव्यांगजनों के हित में पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत जीडीएस संवर्ग में दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके है। इसके साथ मामले का निपटारा किया जाता ।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त